

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- महुआ, बनमंखी, जयनगर, परसा बाजार, बेलसंड एवं मनेर।

पटना, दिनांक- 20/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल ₹831.92500 लाख (आठ करोड़ एकतीस लाख बानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप कुल ₹831.92500 लाख (आठ करोड़ एकतीस लाख बानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०- 146 दिनांक- 20/3/18 के आलोक में तत्काल ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, महुआ	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
2	नगर पंचायत, बनमंखी	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
3	नगर पंचायत, जयनगर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
4	नगर पंचायत, परसा बाजार	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
5	नगर पंचायत, बेलसंड	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
6	नगर पंचायत, मनेर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	33.81500	101.44500
योग			831.92500	207.98125	623.94380

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त आवंटित राशि ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) सम्राट अशोक भवन का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राकलन के अनुरूप किया जायेगा। विभाग द्वारा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग मॉडल प्राकलन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण –लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी महालेखाकार, बिहार, पटना/सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-03/2015 147 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 20/03/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-20/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल ₹831.92500 लाख (आठ करोड़ एकतीस लाख बानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप कुल ₹831.92500 लाख (आठ करोड़ एकतीस लाख बानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, महुआ	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
2	नगर पंचायत, बनमंखी	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
3	नगर पंचायत, जयनगर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
4	नगर पंचायत, परसा बाजार	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
5	नगर पंचायत, बेलसंड	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	34.83325	104.49975
6	नगर पंचायत, मनेर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	33.81500	101.44500
योग			831.92500	207.98125	623.94380

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹207.98125 लाख (दो करोड़ सात लाख अठानवे हजार एक सौ पच्चीस रु०) मात्र निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) सम्राट अशोक भवन का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप किया जायेगा। विभाग द्वारा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।